राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. 6/डीडीएमए/कोविड–19/57 दिनांक : 17.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) इस बात से संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ऊपर कोविड–19 महामारी के फैलाव का खतरा मंडरा रहा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही महामारी घोषित कर चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इसके प्रसार को रोकने के लिए कारगर कदम उठाना आवश्यक बताया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने 'कोविड–19' के खतरे की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समेत समूचे भारत में 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक तालाबंदी की अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से उचित तरीके से निपटने के लिए सभी संबद्ध अधिकारियों को तमाम जरूरी कदम उठाने के लिए समय–समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किये हैं।

और जबकि, भारत सरकार द्वारा तालाबंदी की अवधि बढ़ाए जाने को देखते हुए ऐसे सभी आदेश जिनकी वैधता 14 अप्रैल, 2020 की मध्यन रात्रि तक थी, वे अब 3 मई, 2020 की मध्य रात्रि तक या अग्रिम आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध रहेंगे।

और जबकि, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव (चीनी और प्रशासन) ने पत्र सं. 1(2)/2020–एसपी–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 (प्रतिलिपि संलग्न)) के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की संशोधित समेकित दिशा–निर्देशों के हवाले से 20 अप्रैल, 2020 से कुछ चुनी हुई अतिरिक्त गतिविधियों की इजाजत दे दी है, जिनमें अन्य बातों के अलावा शिफ्टों के दौरान कार्य स्थलों की सफाई करना और किसी सुविधाजनक स्थान पर सेनीटाइजर्स उपलब्धो कराना भी शामिल है। अतः 20 अप्रैल, 2020 के बाद कई उद्योग खुल जाएंगे और हैंड सेनिटाइजर्स की मांग कई गुना बढ़ जाएगी।

अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ता क्षरी, डीडीएमए की राज्यी कार्यपालक समिति के अध्यक्ष की हैसियत से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आयुक्त (आबकारी) को हैंड सेनिटाइजर्स बनाने वालों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक के लिए इथाइल एल्कोहिल/इथेनॉल/ईएनए का पर्याप्त उत्पादन/उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देता है कि डिस्टिलरियों और अन्यट इकाइयों से थोक/खुदरा विक्रेताओं तक बाजार संपर्कों में बढ़ोतरी हो और सभी दवा/किराना दुकानों आदि में ये हर हालत में उपलब्ध रहें।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. आयुक्त (आबकारी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. औषधि नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री / वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय उद्योग / श्रम मंत्री, दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
7. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, सरकार।
8. प्रधान सचिव (उद्योग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली।
10. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
11. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाईल।